के नाम दिये गये थे जिनको उल्लिखित कोष के लिये अंशदान इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। जनता को यह सलाह दी गई थी कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनके अंशदान केवल अधिकृत अभिकरणों को ही दिए जाएं। प्रदेशीय सरकारों को भी यह परामर्श दिया गया था कि यह सुनिश्चित करें कि अनधिकृत अभिकरणों को अंशदान इकट्ठा करने की अनुमति न दी जाए। सरकार को हाल में अनधिकृत रूप से धन इकट्ठा किये जाने की कोई शिकायतें नहीं मिलीं परन्तु यदि किन्हीं ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

नारी रक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान

1501. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1965 से 10 अक्तूबर, 1965 तक नारी रक्षा समिति ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में कितनी धनराशि जमा की है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : खेद है कि वांछित जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा कोष में किसी खास व्यक्ति या संस्था की ओर से दिए गए कुल अंशदान का लेखा नहीं रखा जाता।

गाजियाबाद के निकट भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे के लिये भूमि का अर्जन

1502. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के निकट हिंडन हवाई अड्डे के लिए एक वर्ष पहले अर्जित की गई भूमि का पूरा वार्षिक किराया दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक दे दिये जाने की आशा है;

(ग) क्या उसके लिए प्रतिकर की दरें निर्धारित कर दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कृषि भूमि तथा फलों के बागों की भूमि के लिए प्रतिकर की पृथक पृथक दरें क्या हैं तथा प्रतिकर कब तक दे दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). अधिगृहीत भूमि का वार्षिक अदा किया जाने वाला किराया सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा चुका है और सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सैनिक भूमि तथा छावनियों के निदेशक द्वारा निरीक्षण अधीन है। इस दौरान में भूस्वामियों की कठिनाई को दूर करने के लिए इस हिसाब में 6·15 लाख रुपये की अदायगी कर दी गई है।

(ग) तथा (घ). बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए दिया जाने वाला मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारण अधीन है। शीघ्र कार्यवाही तथा शीघ्र फैसला करने के लिए उसे अतिरिक्त स्टाफ प्राप्य कर दिया गया है।

गाजियाबाद के निकट सड़क निर्माण

1503. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या रक्षा मंत्री 21 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1637 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद के निकट अमालतपुर के लिए असैनिक यातायात के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 3-4 महीनों में